W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /4139/2011/ जिला झुंझुंनू

पवन कुमार पुत्र शंकर लाल जाति ब्राहमण निवासी मेहाडा जाटू वास, तहसील खेतडी जिला झुंझुंनू।

.....**प्रार्थी**

बनाम

मनभरी बेवा सूण्डाराम जाति ब्राहमण निवासी मेहाडा जाटू वास, तहसील खेतडी जिला झुंझुंनू।

.....**अप्रार्थी**

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री आत्माराम शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।
श्री खडगसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः—16—03—2012

1— यह निगरानी न्यायालय उपखंड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुंनू (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—06—2011 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा एंव रिकॉर्ड़ दुरुस्ती का इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी स्थित आराजी खसरा नंबर 2454 व 2456 कुल रकबा 0.80 हैक्टयर का खातेदार प्रतिवादी है। उक्त भूमि भाई बंटवारे में वादी के पिता के हिस्से में आई थी जिस पर पूर्व में वादी के पिता काबिज—काश्त थे एवं पिता की मृत्यु के पश्चात वादी शांतिपूर्वक काबिज—काश्त चला आ रहा है। वादी एंव प्रतिवादी नाथाराम के वंशज होकर एक ही कुटुम्ब परिवार के है और प्रतिवादिनी मनभरी वादी की सगी ताई है। प्रतिवादिनी ने अपने कब्जे एंव हिस्से में आई भूमि को तो दिनांक 28—10—1991 को विक्रय कर दिया और अपने नाम गलत राजस्व अंकनों का फायदा उठाकर अब वादग्रस्त भूमि को भी बेचने पर उतारू है। अतः वादी/प्रार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

3— वाद के दौरान वादी/ प्रार्थी ने आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद में संशोधन करना चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का उक्त प्रार्थनापत्र अपने आदेश दिनांक 03—06—2011 द्वारा खारिज कर दिया।

4— अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 03—06—2011 से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल में मुख्यतः इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि प्रार्थनापत्र प्रकरण के अन्तिम बहस हेतु निर्धारित होने के पश्चात पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुये हस्तगत निगरानी प्रस्तुत कर निगरानी को स्वीकार करने व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर वादी/प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

5— उभय पक्ष की बहस निगरानी के एडमीशन पर सुनी गई।

6— निगरानीकर्ता वादी/प्रार्थी की तरफ से विद्वान अभिभाषक ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थनापत्र को खारिज करने का कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है। यह भी तर्क किया गया है कि प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 का निर्णय करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर भी टिप्पणी अंकित कर दी है। अतः आलोच्य आदेश निरस्तनीय है।

7— जवाबी बहस में उत्तरदाता/ प्रतिवादिनी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि 2003 में प्रस्तुत वाद में अन्तिम बहस के स्तर पर 8 साल बाद प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों और विशेषकर उक्त नियम के परन्तुक के प्रावधानों के विपरीत है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति ही बदल जाती है और ऐसा संशोधन प्रार्थनापत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं की है। सीमित दायरा वाले निगरानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे त्रुटि—विहिन आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

8— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

9— हस्तगत प्रकरण में वादिनी द्वारा दावा दिनांक 02—09—2003 को प्रस्तुत किया गया। जवाबदावा आदि के बाद दिनांक 29—03—2010 को विवाद्यक विरचित किये गये और दिनांक 13—04—2010 को वादी की साक्ष्य दर्ज की गयी। दिनांक 19—07—2010 तक प्रतिवादी की साक्ष्य दर्ज हो कर वादी के अनुरोध पर पुनः पत्रावली वादी की साक्ष्य में रखी गयी। दोनों पक्षों की साक्ष्य पूरी होने के बाद तथा दोनों ही पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रार्थनापत्र आदि का निस्तारण हो कर आदेशिका दिनांक 27—01—2011 अनुसार पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस निर्धारित की गयी। अन्तिम बहस के लिये नियत दिनांक 19—4—2011 को वादी/ प्रार्थी पक्ष की तरफ से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वादपत्र में नवीन मद संख्या (2ए) जोड़ने व मद संख्या 7 को संशोधित करने की अनुमति चाही गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि दावा अन्तिम पड़ाव पर आने के बाद और मूल दावा प्रस्तुत करने के 8 साल बाद वादी/ प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 17 निम्न प्रकार हैः—

> *"17. **Amendment of pleadings:***
> *The Court **may** at any stage of the proceedings allow either party o alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties.*
>
> *Provided that **no application for amendment shall be allowed** after the trial has commenced, unless the Court conies to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial."*

उपरोक्त विधिक प्रावधान का अवलोकन करने से दो बिन्दु स्पष्ट हैः—

(1) प्रथम यह कि संशोधन की अनुमति देना न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार हैं और **इस न्यायालय का मत है कि जब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर तथ्यात्मक अथवा विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं कर दी गयी हो, तब तक निगरानी के माध्यम से विवेकाधीन आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।**

(2) द्वितीय यह कि 01—07—2002 से प्रभावी संशोधित उक्त नियम 17 के परन्तुक में यह आज्ञापक प्रावधान है कि **प्रकरण में विचारण प्रारम्भ होने के बाद संशोधन तब तक अनुमत्त नहीं किया जावेगा, जब तक पक्षकार न्यायालय को इस बिन्दु पर सन्तुष्ट नहीं करदे कि सम्यक तत्परता के बावजूद वह कथित संशोधन का आवेदन प्रकरण में विचारण प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत नहीं कर सका था।**

10— सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया जाने पर हम पाते हैं कि वादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र दिनांक

19–04–2011 में अथवा मण्डल में प्रस्तुत हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन से वादी/प्रार्थी जिन तथ्यों को वादपत्र में शामिल कराना चाहता है, उन तथ्यों व अभिकथनों को वह मूल वाद पत्र में क्यों शामिल नहीं कर सका था और यह कि 2003 से चल रहे वाद में अन्तिम बहस हेतु पत्रावली निर्धारित हो जाने से पहले उक्त संशोधन क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अतः अन्तिम बहस में प्रकरण निर्धारित होने के बाद प्रस्तावित संशोधनों को अनुमत्त करने का कोई उचित कारण नहीं है।

11– हस्तगत प्रकरण अन्तिम बहस के स्तर पर है और अगर वांछित संशोधन अनुमत्त किये जाते हैं तो प्रकरण में पहले गुजर चुके समस्त सौपानों– अर्थात संशोधन पश्चात संशोधित जवाबदावा प्रस्तुत करना, विवाद्यक विरचना/विवाद्यक में संशोधन करना, दस्तावेजात का प्रस्तुतीकरण और उभयपक्ष की साक्ष्य आदि के सौपानों से प्रकरण को पुनः गुजारना पड़ेगा। यद्यपि न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों अनुसार अपने विवेक से किसी भी स्तर पर संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु हमारा मत है कि **जहां पक्षकार द्वारा सम्यक तत्परता नहीं बरती गयी, वहां अन्तिम स्तर पर पहुंच चुके प्रकरण को पुनः प्रारम्भिक स्तर पर ले जाना न्यायोचित नहीं है।**

12– इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित नवीन मद (2ए) में जो तथ्य शामिल किया जाना प्रस्तावित हैं और जिस प्रकार मद संख्या 7 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, उससे न केवल प्रकरण वापिस प्रारम्भिक स्तर पर चला चावेगा अपितु वादाधार और वादकारण (basis of suit and cause of action) ही बदल रहा है। अतः ऐसा संशोधन अनुमत्त करना उचित नहीं है।

13– उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03–06–2011 में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि दृष्टव्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अधिनियम 1955 की उक्त धारा 230 निम्न प्रकार हैः–

> ***"230. Power of the Board to call for cases.-*** *The Board may call for the record of any case decided by any subordinate court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-*
> *(a) to have exercised jurisdiction not vested in it by law; or*
> *(b) to have failed to exercise jurisdiction so vested; or*
> *(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,*
>
> *the Board may pass such orders in the case as it thinks fit."*

उपरोक्त धारा 230 के प्रावधान स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मण्डल द्वारा निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप केवल उस स्थिति में ही किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वाराः—
(अ) उसमें **निहित नहीं किये गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग** कर लिया गया हो,
अथवा
(ब) निहित **क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग** किया गया हो,
अथवा
(स) क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय **गंभीर अनिमितता** की गयी हो।

हस्तगत प्रकरण बाबत पूर्व में किये गये विवेचन में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आलोच्य आदेश दिनांक 03—06—2011 में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है।

14— उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र सारहीन होकर ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य